कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 15/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना– जहानागंज, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0 के तहत वसूली वारंट का सफल निष्पादन

भरण-पोषण आदेश का पालन न करने वाला 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** के अंतर्गत थाना जहानागंज पुलिस द्वारा वसूली वारंट से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक 09.01.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर **इ0सं0 989/25 धारा 128 सीआरपीसी** से संबंधित अभियुक्त **प्रहलाद चौहान पुत्र पूजन चौहान निवासी सिही, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 55 वर्ष)** को सिही बाजार के पास से समय लगभग 11.25 बजे हिरासत में लिया गया।
अभियुक्त को पूर्व में कई बार न्यायालय के आदेशानुसार भरण-पोषण की धनराशि जमा करने हेतु अवगत कराया गया था, परंतु आदेश का पालन न किए जाने के कारण उक्त गिरफ्तारी की गई।

पंजीकृत अभियोग :

इ0सं0 989/25 धारा 128 सीआरपीसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़ | दिनांक 09.01.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0 के तहत नाबालिग से संबंधित अपराध का सफल अनावरण

पॉक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** के अंतर्गत थाना अहरौला पुलिस द्वारा नाबालिग से संबंधित गंभीर अपराध में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡ दिनांक 20.12.2025 को वादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 445/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस** पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी, चिकित्सकीय परीक्षण एवं न्यायालय में बयान के उपरांत साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में **धारा 64(2)(m) बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट** की वृद्धि की गई।

➡ दिनांक 09.01.2026 को उ0नि0 विजयी द्वारा मय पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त **संदीप राजभर पुत्र योगेन्द्र राजभर निवासी ग्राम मेहदवारा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 25 वर्ष)** को मेहियापार क्षेत्रान्तर्गत खजुरी मोड़ के पास से समय लगभग 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त से पूछताछ के दौरान अपराध स्वीकार किया गया है। बरामदगी शून्य है।
अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 445/2025 धारा 137(2)/87/64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 विजयी, हे0का0 जयप्रकाश यादव थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ | दिनांक 09.01.2026

मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0 के तहत महिला से सम्बन्धित अपराध का सफल अनावरण

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** के अंतर्गत थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा महिला से सम्बन्धित गंभीर अपराध में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

➡️ दिनांक 06.01.2026 को पीड़िता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कन्धरापुर पर **मु0अ0सं0 08/2026 धारा 69/115(2)/351(3) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था। अभियोग में अभियुक्त द्वारा विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण, मारपीट एवं धमकी देने का आरोप प्रकाश में आया, जिसकी विवेचना प्रचलित की गई।

दिनांक 09.01.2026 को व0उ0नि0 रमेश कुमार द्वारा मय पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त **सुधाकर विश्वकर्मा पुत्र सुभाष विश्वकर्मा निवासी दुबहरन बुजुर्ग, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़** को दुबहरन बुजुर्ग (चकबिजली) क्षेत्र से समय लगभग **10.40 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग :

मु0अ0सं0 08/2026 धारा 69/115(2)/351(3) बीएनएस थाना – कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

व0उ0नि0 रमेश कुमार, का0 अजीत कुमार यादव

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना – देवगांव, जनपद आजमगढ़

चोरी की गाड़ी पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बिक्री करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

धोखाधड़ी, जालसाजी व धमकी के गंभीर अपराध का सफल अनावरण

➡️ थाना देवगांव पुलिस द्वारा चोरी की गाड़ी पर नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी एवं जालसाजी के माध्यम से वाहन बेचने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का संक्षिप्त विवरण :

आवेदक द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण द्वारा चोरी की गाड़ी पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उसे बिक्री किया गया, वाहन के कागजात नहीं दिए गए तथा जानकारी करने पर फर्जी नम्बर प्लेट का खुलासा हुआ। इसके पश्चात लालगंज क्षेत्र में कागजात अथवा धनराशि की मांग करने पर अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना देवगांव पर **मु0अ0सं0 017/2026** धारा **303(2), 319(2), 318(4), 338, 340(2), 336(3), 316(2), 352, 351(3), 317(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :

दिनांक … को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय पुलिस टीम मोलनापुर ब्रिज क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर की सूचना पर मोलनापुर ब्रिज की पश्चिमी पटरी के पास खड़ी गाड़ी के समीप खड़े दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर दबिश देकर समय लगभग **10.50 बजे** हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. अजय कुमार पटेल पुत्र अशोक पटेल निवासी दबिलहा, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर
2. इरफान पुत्र मलिक शेख मन्सूर निवासी महुआरी, थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर

पंजीकृत अभियोग / आपराधिक इतिहास :

मु0अ0सं0 017/2026 धारा 303(2), 319(2), 318(4), 338, 340(2), 336(3), 316(2), 352, 351(3), 317(2) बीएनएस थाना – देवगांव, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 सुभाष तिवारी, उ0नि0 हरिश्चन्द्र यादव, का0 अरविन्द पासवान, का0 कमल कुमार चौरसिया
थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत 05 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹12,000 नगद व ताश के पत्ते बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को जुआ अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

****घटना का संक्षिप्त विवरण****

➡ दिनांक **08.01.2026** को निरीक्षक अपराध थाना सरायमीर श्री पंकज कुमार शुक्ल, मय हमराह पुलिस टीम, क्षेत्र में रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं अपराध रोकथाम के उद्देश्य से शेरवां नहर पुलिया के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक **मुखबिर खास** द्वारा सूचना दी गई कि **सुसहट्टी मोहल्ले में एक निर्माणाधीन मकान के अंदर कुछ व्यक्ति हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं।**

➡ सूचना पर विश्वास कर दिनांक- 09.01.2026 को पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर छिपकर निगरानी की गई। अभियुक्तों द्वारा पैसों की बाजी लगाकर जुआ खेलने की पुष्टि होने पर **एक बारगी दबिश देकर 05 व्यक्तियों को मौके से समय 22.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।**

****अपराध का तरीका (Modus Operandi)****

• अभियुक्तगण रात्रि के समय सुनसान स्थान पर निर्माणाधीन मकान का चयन करते थे
• आपस में ताश के पत्तों के माध्यम से हार-जीत की बाजी लगाते थे
• पुलिस की निगरानी से बचने के लिए मोबाइल की फ्लैश लाइट का प्रयोग करते थे
• प्रत्येक बाजी पर नगद धनराशि का लेन-देन किया जाता था

****गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण****

1. **प्रदीप कुमार जायसवाल** पुत्र स्व. सच्चीदानन्द जायसवाल, निवासी चककाजीत (मीरहसन), उम्र 55 वर्ष
2. **फैयाज** पुत्र स्व. फौजदार, निवासी मीरहसन, उम्र 52 वर्ष
3. **दिनेश** पुत्र रामबृक्ष, निवासी सुसहट्टी, उम्र 25 वर्ष
4. **साह आलम** पुत्र अबुलैश, निवासी मीरहसन, उम्र 32 वर्ष
5. **एकराम** पुत्र भोनू, निवासी मीरहसन, उम्र 40 वर्ष

(सभी थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़)

****बरामदगी का विवरण****

• कुल नगद धनराशि – **₹12,000/-**
• ताश के पत्ते – **52 अदद**

बरामदगी नियमानुसार अभियुक्तों की जामा तलाशी के दौरान की गई।

****पंजीकृत अभियोग****

मु0अ0सं0 **06/2026**, धारा **13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम**, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

****आपराधिक इतिहास****

• अभियुक्त **एकराम** – मु0अ0सं0 042/25, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना सरायमीर
• अभियुक्त **साह आलम** – मु0अ0सं0 0203/18, धारा 307 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – अहरौला, जनपद आजमगढ़
दिनांक – 09.01.2026

युवती के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **08.11.2025** को वादी द्वारा थाना अहरौला पर प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त **हरिओम मौर्य पुत्र शिवकुमार मौर्या**, निवासी ग्राम खालिसपुर, थाना कटका, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 404/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस** पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अपहृता की सकुशल बरामदगी की गई। बरामदगी के पश्चात नियमानुसार बयान दर्ज कराए गए एवं चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। साक्ष्य संकलन एवं विवेचनात्मक तथ्यों के आधार पर अभियोग में दिनांक **06.12.2025** को **धारा 64 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट** की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक **09.01.2026** को उ0नि0 **वीरेन्द्र बहादुर सिंह** मय उ0नि0 **उमाकान्त शुक्ला** द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियोग उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **हरिओम मौर्य** को ग्राम **सिपाह** में अभियुक्त के नाना के ट्यूबवेल के पास से समय करीब **12.50 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 **404/2025**, धारा **137(2)/87/64 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट**, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. हरिओम मौर्य, **पिता का नाम:** शिवकुमार मौर्या, **निवास:** ग्राम खालिसपुर, थाना कटका, जनपद अम्बेडकर नगर, **उम्र:** 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 404/2025 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 **वीरेन्द्र बहादुर सिंह**, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 **उमाकान्त शुक्ला**, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के लिए नगदी रहित (Cashless) उपचार योजना पर कार्यशाला आयोजित

आज दिनांक *09.01.2026* को *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार* के निर्देशन एवं *अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी* के पर्यवेक्षण में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को त्वरित एवं नगदी रहित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक *कार्यशाला का आयोजन* किया गया।

कार्यशाला में *सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार* द्वारा संचालित सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु *नगदी रहित (Cashless) उपचार योजना की पात्रता, मानदंड, प्रक्रिया एवं लाभ* के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उपस्थित अधिकारियों को बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समयबद्ध एवं प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिक उद्देश्य है, जिससे जीवन रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कार्यशाला के दौरान जनपद के *समस्त थानों के क्रिटिकल कॉरिडोर प्रभारी, सड़क दुर्घटना से संबंधित अभियोगों के विवेचक,* एवं *यातायात पुलिस कर्मियों को ई-डीएआर (e-DAR – इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट)* प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में ई-डीएआर की उपयोगिता, समयसीमा एवं विधिक प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया।

इस अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सकीय सहायता दिलाना तथा नगदी रहित उपचार योजना का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

कार्यशाला का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करना रहा।

प्रेस नोट

जनपद- आजमगढ़,दिनांक- 09.01.2026

जन शिकायतों के निस्तारण में आजमगढ़ पुलिस का उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुआ प्रथम स्थान

आईजीआरएस पोर्टल पर जन शिकायतों के समुचित समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर से की जाती है, प्रदर्शन के आधार पर मासिक रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है । प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण/यथोचित कार्यवाही कराते हुए पोर्टल पर आख्या की फीडिंग की जाती है ।

उल्लेखनीय है कि माह दिसम्बर में जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण/यथोचित कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदान की गयी रैंकिंग में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के आधार पर जनपद आजमगढ़ के समस्त 23 थानों को भी रैंकिग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

जनपद एवं थानों की रैंकिंग का निर्धारण फरीयादियों द्वारा किये गये शिकायतों के निस्तारण एवं उनके द्वारा दिये गये फीडबैक के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन स्तर से किया जाता है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व दिये गये मार्गदर्शन के फलस्वरूप आजमगढ़ पुलिस द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गयी है तथा आम जनमानस एवं फरियादियों में आजमगढ़ पुलिस के प्रति विश्वास एवं संन्तुष्टि की भावना में वृद्धि हुयी है। आजमगढ़ पुलिस की इस उपलब्धि के लिये उच्चाधिकारीगण द्वारा भी पुलिस कर्मियों की सराहना की गयी।

जनपद	रैंक
जनपद आजमगढ़	1

क्रम संख्या	थाना	रैंक
1	म0थाना	1
2	कोतवाली	1
3	रानी की सराय	1
4	कंधरापुर	1
5	गंभीरपुर	1
6	निजामाबाद	1
7	मुबारकपुर	1
8	जहानागंज	1
9	अतरौलिया	1
10	अहरौला	1
11	कप्तानगंज	1
12	तहबरपुर	1
13	रौनापार	1
14	जीयनपुर	1
15	बिलरियागंज	1
16	सरायमीर	1
17	दीदारगंज	1
18	पवई	1
19	फूलपुर	1
20	देवगांव	1
21	बरदह	1
22	तरवा	1
23	मेहनगर	1

उत्तर प्रदेश पुलिस